प्रेस विज्ञप्ति

04.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सोल हेल्थकेयर (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एस्टर फार्मा के अखिल जय सिंह, मेसर्स एमपी ट्रेडर्स के अंकित कुमार और मेसर्स कैनिक्स फार्मा के एलेक्स पालीवाल की व्यावसायिक और आवासीय प्लॉट के रूप में 2.18 करोड़ रुपये की चार अचल संपत्तियों और संतोष तिवारी की बैंक जमा के रूप में 1.2 लाख रुपये की एक चल संपत्ति को 2/2/2026 को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में अवैध रूप से साइकोट्रोपिक/मादक पदार्थ (जैसे ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम आदि) की आपूर्ति करने के मामले में अस्थायी रूप से कुर्क किया है

मादक पदार्थ विक्रेताओं से नकद में मादक पदार्थ के पैसे के साथ ट्रामाडोल आधारित गोलियों की बरामदगी पर पंजाब पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफ.आई.आर. के आधार पर ई.डी. ने धन-शोधन की जांच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला कि मेसर्स श्री श्याम मेडिकल एजेंसी, मेसर्स एमपी ट्रेडर्स और मेसर्स कैनिक्स फार्मा नामक बिचौलिए, फार्मास्युटिकल फर्मों/विनिर्माण कंपनियों से भारी मात्रा में साइकोट्रोपिक टैबलेट प्राप्त कर रहे थे और ड्रग विक्रेताओं के माध्यम से उचित बिल, पर्चे और स्टॉक रजिस्टर के रखरखाव के बिना, नकद में बिक्री के लिए भेज रहे थे। यह पाया गया कि मेसर्स सोल हेल्थकेयर (आई) प्राइवेट लिमिटेड, ट्रामाडोल आधारित टैबलेट के निर्माता, और एक वितरक, मेसर्स एस्टर फार्मा, साइकोट्रोपिक टैबलेट की अवैध बिक्री में शामिल थे और अपराध से प्राप्त आगम नकद में प्राप्त करते थे। वितरक निर्माण संयंत्रों से उपरोक्त उल्लिखित बिचौलियों को कूरियर सेवा के माध्यम से सीधे टैबलेट का परिवहन कर रहे थे, जो बाद में ड्रग विक्रेताओं को बेचते थे। चालान मूल्य के बराबर नकद राशि बैंक खातों में जमा की जाती थी और उसके बाद स्थानांतरित कर दी जाती थी, जबकि अतिरिक्त राशि व्यक्तिगत रूप से नकद में सौंपी जाती थी।

इससे पहले, पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के प्रावधानों के तहत 17.06.2025 को तलाशी ली गई थी और इसमें शामिल संस्थाओं के वित्तीय मार्ग को स्थापित करने और कार्यप्रणाली का पता लगाने वाले अपराध-संकेती रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए थे। इसके अलावा, ईडी ने मेसर्स श्री श्याम मेडिकल एजेंसी के अभिषेक कुमार को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.12.2025 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

ई.डी. की जाँच में निर्माता से लेकर वितरकों और खुदरा विक्रेताओं तक के नेटवर्क का पता चला, जो साइकोट्रोपिक गोलियों के अवैध व्यापार में शामिल थे, जो दुरुपयोग और लत के माध्यम से पूरे समाज को खतरे में डालते हैं।

आगे की जाँच जारी है।